कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक–शिविरा/माध्य/प्रमाग–ए/सतर्कता/हड़ताल–धरना/2016 दिनांक 23.07.16

उपनिदेशक
माध्यमिक /प्रारंभिक शिक्षा समस्त मण्डल
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक/प्रारंभिक समस्त
समस्त संस्थाप्रधान
राउमावि/रामावि/राउप्रावि/राप्रावि

विषय :– विद्यालयों में तालाबंदी के सबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय विद्यालयों में तालाबंदी होने की सूचनाऐं प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा पदोन्नति एवं सीधी भर्ती द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों के पदस्थापन की कार्यवाही की गयी है। इसके अलावा रिक्त पदों को भरने हेतु सेवानिवृत वरिष्ठ अध्यापकों, व्याख्याताओं व उच्च पदों पर रहे शिक्षा अधिकारियों को व्याख्याता पद क रिक्त पदों पर संविदा पर लगाए जाने की स्वीकृति भी दी गयी है। अतः रिक्त पद रहने के कारणों से तालाबंदी नहीं होनी चाहिए। तालाबंदी की स्थिति से बचने के लिए संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों द्वारा पूर्ण प्रयास किए जावें। संस्थाप्रधान का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी स्थितियों में संबंधित ज़िला शिक्षा अधिकारी के सघन सम्पर्क में रहे तथा तालाबंदी की स्थितियां उत्पन्न न होने दें। जिला शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस सबंध में संस्थाप्रधानों को भलिभांति अवगत कराते हुए अपना प्रभावी प्रबोधन सुनिश्चित रखेंगे।

यह अवगत रहें कि प्रयासों के अभाव में तालाबंदी होने की स्थिति में संस्थाप्रधान एवं विद्यालय के शिक्षक इस हेतु जिम्मेवार होंगे तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(ज.सी.पुरोहित) 25/7/16
आईएएस
निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।